भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1424

28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

पश्चिम बंगाल में ईवी चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार

1424. **श्री बापी हलदरः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मथुरापुर सहित पश्चिम बंगाल में अलग-अलग केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए गए और चालू किए गए सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के ग्रामीण, तटीय और अर्ध-शहरी इलाकों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना की पर्याप्तता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मथुरापुर और आस-पास के तटीय क्षेत्रों में और ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्वांबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए पश्चिम बंगाल को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में, विशेषकर मथुरापुर जैसे अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में, सरलता से उपलब्ध और विश्वसनीय ईवी चार्जिंग तंत्र के विस्तार को तीव्र करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): बीपीसीएल, आईओसीएल तथा एचपीसीएल नामक तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेम-II स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कुल 482 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार 463 ईवीपीसीएस प्रचालन में हैं। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में स्वीकृत एवं प्रचालनरत ईवीपीसीएस की जिला-वार संख्या का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ): ईवीपीसीएस के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बीएचईएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें मथुरापुर के लिए किसी चार्जर का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस प्रस्ताव में दक्षिण 24 परगना

जिले के लिए 5 ईवीपीसीएस (कैनिंग, बक्खाली, डायमंड हार्बर, काकद्वीप तथा नामखाना में) प्रस्तावित हैं।

आज की तिथि तक पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

फेम-II स्कीम के अंतर्गत देशभर में ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 912.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था तथा इसके अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित देशभर में ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीएस) की स्थापना लाइसेंसरहित गतिविधि है तथा निजी संस्थाओं सहित कोई भी संस्था भारत में कहीं भी ईवीसीएस की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए स्वतंत्र है।

अनुलग्नक ।

दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में स्वीकृत एवं प्रचालनरत ईवीपीसीएस का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.सं.	**जिला**	**ईवीपीसीएस की संख्या**	
		स्वीकृत	**प्रचालनरत**
1	अलीपुरद्वार	8	8
2	बाँकुड़ा	22	20
3	बीरभूम	21	21
4	कूचबिहार	9	9
5	दक्षिण दिनाजपुर	10	10
6	दार्जिलिंग	17	16
7	हुगली	33	33
8	हावड़ा	16	15
9	जलपाईगुड़ी	28	28
10	झाड़ग्राम	4	4
11	कालिम्पोंग	0	0
12	कोलकाता	23	21
13	मालदा	13	13
14	मुर्शिदाबाद	25	25
15	नदिया	27	26
16	उत्तर 24 परगना	43	40
17	पश्चिम बर्धमान	42	42
18	पश्चिम मेदिनीपुर	34	28
19	पूर्व बर्धमान	28	28
20	पूर्व मेदिनीपुर	28	27
21	पुरुलिया	5	5
22	दक्षिण 24 परगना	23	22
23	उत्तर दिनाजपुर	23	22
	कुल	**482**	**463**

स्रोत: आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल।